भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3450

उत्तर देने की तारीख- 12.03/2026

पीएम-जेयूजीए योजना के तहत अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए पक्के मकान

† 3450. **श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:**

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए 20 लाख पक्के मकानों के निर्माण में प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है और अब तक कितने मकान स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूरे किए गए हैं;

(ख) तेलंगाना राज्य में उक्त अभियान के अंतर्गत आवास लाभ के लिए पात्र अनुसूचित जनजाति के परिवारों की पहचान करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त आवास पहल को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के रूप में शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (पीएमजेयूजीए) का उद्देश्य 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों के 63,843 गांवों में जनजातीय लोगों को बुनियादी ढांचे की अंतरो (कमी) को संतृप्त करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और आजीविका के अवसर प्रदान करना है।

इस योजना के तहत इन प्रमुख उपायों में से एक प्रमुख उपाय अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवारों के लिए पक्के मकानों का निर्माण है, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। डीएजेजीयूए के तहत 20 लाख पक्के मकानों के लक्ष्य के सापेक्ष विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में कुल 12,89,251 मकानों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से अब तक 7,60,034 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। स्वीकृत और पूर्ण हुए मकानों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रगति **अनुलग्नक** में है।

(ख): डीएजेजीयूए के तहत गांवों की पहचान इस मानदंड के आधार पर की जाती है कि वे या तो कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (एसटी) आबादी के साथ 500 या उससे अधिक की आबादी वाले हैं, या कम से कम 50 अनुसूचित जनजाति आबादी वाले आकांक्षी ब्लॉकों में स्थित हैं। तेलंगाना राज्य सहित देश भर के इन चुने हुए जनजातीय-बहुल गांवों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवार, जो बिना किसी आश्रय (घर) या कच्ची दीवारों और कच्ची छतों वाले घरों में रहते हैं या सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के अनुसार बिना कमरे, एक या दो कमरों वाले घरों में रहते हैं।

(ग): धरती-आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) की अवधि 2 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2029 तक है। आवास पहल सहित कार्यक्रम के तहत किए गए उपायों के इस अवधि के दौरान पूरा होने की उम्मीद है।

अनुलग्नक

दिनांक 12.03.2026 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3450 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य का नाम	स्वीकृत आवास	पूरे हुए आवास
आंध्र प्रदेश	1	1402
अरुणाचल प्रदेश*	0	780
असम	54610	69747
बिहार	17	222
छत्तीसगढ़	309603	180431
दादरा और नगर हवेली *	0	1767
दमन और दीव*	0	10
गुजरात	73427	72378
हिमाचल प्रदेश	2345	1115
जम्मू और कश्मीर	21	18912
झारखंड	55160	5301
कर्नाटक	11565	2110
केरल	756	122
मध्य प्रदेश	298037	118322
महाराष्ट्र	335939	76711
मणिपुर	951	4167
मेघालय*	0	39412
मिजोरम*	0	6720
नागालैंड*	0	16481
ओडिशा	17521	88799
राजस्थान	129188	43680
सिक्किम*	0	8
तमिलनाडु	110	502
त्रिपुरा*	0	10543
उत्तर प्रदेश*	0	67
उत्तराखंड*	0	23
पश्चिम बंगाल*	0	302
कुल योग	**1289251**	**760034**

* डीएजेजीयूए के शुभारम्भ से से पूर्व स्वीकृत। हालांकि, डीएजेजीयूए अवधि के दौरान पूरा हुए।

*****